

लुटियन जोन से चंद किलोमीटर की दूरी पर मिला नकली कीटनाशकों का जखीरा, जांच की मांग

नकली कीटनाशकों से न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है बल्कि उनके खेत की मिट्टी भी खराब होती है. ऐसे कीटनाशक उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बुरी तरह से खतरे में डालते हैं.



सांकेतिक तस्वीर

लुटियन जोन से चंद किलोमीटर दूर स्थित नजफगढ़, दिल्ली के हिरण कूदना गांव में नकली कीटनाशकों (Spurious pesticides) का जखीरा पकड़ा गया है. सवाल ये है कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो देश के बाकी हिस्सों में नकली कीटनाशकों की सप्लाई करने वाले रैकेट में शामिल लोगों के हौसले कितने बुलंद होंगे. नकली कीटनाशकों की वजह से किसानों (Farmers) को भारी नुकसान होता है. एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने की नकली कीटनाशकों की जांच की मांग की है.

इस समय संसद चल रही है. उसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन हो रहा है. अन्नदाताओं की इनकम का मुद्दा उठाया जा रहा है. हर तरफ नेता खुद को किसान हितैषी दिखाने में जुटे हुए हैं. लेकिन ताज्जुब ये है कि अब तक नकली कीटनाशक बनाने वाले किसान विरोधी लोगों पर नकेल कसने के लिए कोई सख्त प्रावधान नहीं हो पाया. जिसका नतीजा ये है कि दिल्ली में भी नकली एग्री इनपुट बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं.

इन कंपनियों का लोगो लगाकर हो रही थी पैकिंग

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) के मुताबिक नजफगढ़ (Najafgarh) के हिरण कूदना गांव में 30 जुलाई को पुलिस की एक विशेष टीम ने नकली कीटनाशक बनाने वाली एक यूनिट पर छापा मारा था. यहां जो पैकिंग हो रही है उसमें सिंजेटा, बायर, क्रिस्टल, धानुका एग्रीटेक, अदामा, पीआई, एफएमसी, श्रीराम और यूपीएल सहित बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोगो का इस्तेमाल किया गया था. संगठन ने सरकार और पुलिस से इन नकली कीटनाशकों की जांच की मांग करते हुए कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं के हित में इस तरह की अवैध गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए.



नजफगढ़, दिल्ली के हिरण कूदना गांव में पकड़ा गया नकली कीटनाशक.

उद्योग संगठन ने सरकार से किए तीखे सवाल

एसीएफआई ने एक बयान में कहा, “कानूनी अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत शिकायत और प्राथमिकी दर्ज की जानी बाकी है. हम मौजूदा नियामकों और उच्च स्तर के अधिकारियों से इसकी जांच करने की जोरदार मांग करते हैं.” इसमें कहा गया है कि लुटियंस जोन से कुछ किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधि शासन के ढांचे और अवैध व्यापार को समर्थन देने वाले तत्वों पर सवाल उठाती है.

किसानों के लिए है नुकसानदायक

एसीएफआई ने कहा कि इस तरह के नकली कीटनाशक न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बुरी तरह से खतरे में डालते हैं, बल्कि किसानों की जेब पर भी भारी असर डालते हैं. किसानों को नकली कीटनाशकों की बिक्री से कंपनियों और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. यह देश के कानून के तहत एक जघन्य अपराध है और इसमें मजबूत दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए.

Source: <https://www.tv9hindi.com/agriculture/fake-pesticides-unit-busted-a-few-kilometers-away-from-lutyens-zone-in-delhi-agro-chem-federation-demanded-for-investigation-762020.html>